महत्वपूर्ण एवं खास

अनुपस्थित पाए गए प्राचार्य, व्याख्याता एवं अन्य कर्मचारियों को शो-काज नोटिस

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला शिक्षा अधिकारी मनीन्द्र श्रीवास्तव, सहायक संचालक श्रीमती दीप्ति अग्रवाल एवं कनिष्ठ लेखा परीक्षक मनोज पाण्डेय के द्वारा गत दिवस खरसिया विकासखण्ड के शास.उ.मा.विद्यालय सोनबरसा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपरान्ह 3.30 बजे विद्यालय का बंद होना पाया गया तथा संस्था के प्राचार्य एफ.आर.प्रेमी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए तथा अन्य स्टाफ जो उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर कर अनुपस्थित पाए गए। जिनमें व्याख्याता आर.पी.पटेल, व्याख्याता एलबी अनिता खलखो, व्याख्याता पंचायत श्रीमती कौशल्या साहू एवं कु. अनुपमा जायसवाल, सहायक शिक्षक बिहारी लाल सिदार, सहायक ग्रेड-2 कन्हैया लाल पटेल, सहायक ग्रेड-3 संतोष कुमार निषाद एवं परखीत राम डनसेना तथा भृत्य जनक राम सिदार शामिल है। शिक्षा अधिकारी द्वारा सर्वसंबंधितों को 28 अगस्त 2019 तक जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है। जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति संबंधितों को उक्त दिवस का अवैतनिक किए जाने संबंधी कार्यवाही की जाएगी।

जिले में 765.8 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायगढ़ जिले में 26 अगस्त तक 765.8 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 22.2 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 875.4 मिली मीटर, पुसौर में 941.5, खरसिया में 612.7, सारंगढ़ में 725.9, बरमकेला में 820.3, घरघोड़ा में 790.6, तमनार में 681.7, लैलूंगा में 643.3 तथा धरमजयगढ़ तहसील में 800.5 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

अवैध कबाड़ लोड 02 मेटोडोर वाहन कोतवाली पुलिस ने किया जप्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। सुबह कोतवाली थाना प्रभारी टी0आई0 एस.एन सिंह को मुखबिर से सूचना मिला कि रायगढ़-घरघोड़ा मार्ग पर दो स्वराज माजदा(मेटाडोर) वाहन में अवैध रूप से लोहा, टीना का स्क्रैप लोड कर ले जाया जा रहा है, सूचना पर कोतवाली प्रभारी के निर्देशन पर स्टाफ द्वारा उर्दना बेरियर के पास नाकेबंदी किया

गया । दोपहर करीब 11-12:00 बजे दो स्वराज माजदा वाहन क्रमांक CG13 X- 1110 एवं CG 13 L- 1665 को रोककर चेक किया गया । वाहन क्रमांक CG13 X-1110 में 7.5 टन लोहे के टुकडे, पुराने कलपुर्जे कीमती 1.50 लाख रूपये को वाहन चालक कृष्णा बंससोड उर्फ राज कुमार पिता मिठाईराम उम्र 42 वर्ष निवासी नेतनागर चौकी जुटमिल एवं CG 13 L- 1665 में टीना स्क्रैप वजन 8.5 टन कीमती 1.20 लाख रूपये को वाहन चालक साहेबदास मंहत पिता धीरदास महंत उम्र 30 वर्ष निवासी खडकेना थाना डभरा जिला जांजगीर चाम्पा के कब्जे से जप्त किया गया है । थाना कोतवाली में वाहन चालकों के विरूद्ध क्रमशः इस्तगासा क्रमांक 09, 10/19 धारा 41(1+4)CrPC/379IPC पंजीबद्ध किया गया है । वाहन चालकों ने पूछताछ में कबाड़ गोदाम संचालक नाजिम अली के गढउमरिया गोदाम से पूंजीपथरा लेकर जाना बताये, जिस पर दोनों प्रकरणों में नाजिम अली को सह आरोपी बनाया गया है, जिसकी पतासाजी के लिये कोतवाली पुलिस द्वारा उसके ठिकाने पर दबिश दिया गया जो फरार है ।

सारंगढ़, पुसौर व जुटमिल पुलिस की अवैध शराब पर कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। चौकी प्रभारी जुटमिल अंजना केरकेट्टा के नेतृत्व में सउनि खेमराज पटेल एवं हमराह स्टाफ द्वारा मुखबिर सूचना पर झलमला के पास निताई गुप्ता पिता उद्धव प्रसाद गुप्ता उम्र 19 वर्ष निवासी मिडमिडा जुटमिल को उड़ीसा की ओर से हाथ भट्ठी से बना हुआ महुआ शराब स्कूटी क्रमांक ह्क्र14 रु 1822 में लाते हुये पकड़े। आरोपी के पास से जरकिन में 20 लिटर महुआ शराब जब्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2)59 (क) के तहत कार्यवाही कर आरोपी को रिमांड में भेजा गया है।

जुटमिल पुलिस की एक अन्य कार्यवाही में आरोपो रोहित कुमार नट पिता मयाराम नट उम्र 42 साल निवासी पटेलपाली के कब्जे से 16 पाव देशी शराब जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।

थाना सारंगढ स्टाफ द्वारा दिनांक 25.08.2019 को जुआ, अवैध शराब पतासाजी दौरान मुखबिर सूचना पर ग्राम फुलझरियापारा वार्ड क्रमांक 12 में यादव भवन पास शराब रेड कार्यवाही किया गया आरोपी धनेश्वर उर्फ धन्नू सिदार पिता हरिलाल सिदार उम्र 27 वर्ष साकिन फुलझरियापारा वार्ड क्रमांक 12 सारंगढ को यादव भवन पुल ट्रांसफार्मर के पास झाड़ी में अवैध रूप से बिक्री के लिये जरकिन में छिपाकर रखा 50 लीटर महुआ शराब किमती 5000 रूपये जप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध थाना सारंगढ़ में 34(2)59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

थाना पुसौर में पदस्थ सउनि इगेश्वर यादव एवं हमराह स्टाफ द्वारा आज सुबह ग्राम बोडाझरिया में आरोपी ललित बंजारा पिता स्व0 बोधन बंजारा उम्र 45 वर्ष सा.बोडाझरिया थाना पुसौर घर पर शराब रखकर बिक्री करने की सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया। आरोपी के पास से 15-15 लीटर वाली 4 सफेद रंग के प्लास्टिक जरीकेन में भरी करीब 60 लीटर हाथ भठ्ठी का कच्ची महुआ शराब जप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

दुकानदार अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगायें - एस पी संतोष कुमार सिंह

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रायगढ़ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने आज रायगढ़ के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह से सौजन्य भेंट की और रायगढ़ में उनका हार्दिक स्वागत किया । महामंत्री हीरा मोटवानी ने बताया कि चेंबर ने उनसे रायगढ़ की ट्रैफिक व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की और कई पॉइंट्स बताए जहां पर व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। चर्चा में

मूल रूप से रायगढ़ में पार्किंग स्थल नहीं होने के कारण और दुकानदारों द्वारा अपना सामान दुकानों के बाहर लगा देने से मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक समस्या बनने तथा सड़कों के किनारे छोटे-छोटे हाट दुकानदार ठेले अवैध रूप से लग जाने से ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ने की बात सामने आई । पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वह इन बिंदुओं ध्यान देते हुए इसका निराकरण करवाने का प्रयास करेंगे। पुलिस अधीक्षक ने दुकानदारों से आव्हान कि वह अपनी दुकानों और घरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं और उसमें से एक कैमरा सड़क की ओर अवश्य रखें उन्होंने कहा कि प्रत्येक घटना को पूर्वानुमान लगा कर रोकना संभव नहीं है ।परंतु घटना के बाद अपराधियों को पकड़ना जरूर पुलिस का दायित्व है और वह हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन बिना नागरिकों के सहयोग के पूरी तरह अपराधों पर अंकुश लगाना असंभव होता है।

थाना सारंगढ़, घरघोड़ा एवं जुटमिल पुलिस की जुआ-सट्टा पर कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। सारंगढ़ पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर ग्राम उलखर के नरसिंग के घर पास 52 पत्ती ताश से जुआ खेल रहे 08 आरोपीगण 1.नेहरू चंद्रा पिता बद्रीका प्रसाद चंद्रा उम्र 40 वर्ष साकिन भंवरपुर थाना कोसीर 2. महेन्द्र जाटवर पिता रामकुमार जाटवर उम्र 19 वर्ष साकिन उलखर थाना सारंगढ,3. नवागौठिया चंद्रा पिता बद्रिका प्रसाद चंद्रा उम्र 35वर्ष साकिन उलखर थाना सारंगढ , 4. सुनील जाटवर पिता हुलेस जाटवर उम्र 27 वर्ष साकिन उलखर थाना सारंगढ,5. लक्ष्मण सतनामी पिता सुखलाल सतनामी उम्र 21वर्ष साकिन उलखर थाना सारंगढ,6. राजू जोल्हे पिता रामलाल जोल्हे उम्र 24वर्ष साकिन उलखर थाना सारंगढ,7. मोतीलाल भारती पिता फागुलाल भारती उम्र 28वर्ष साकिन उलखर थाना सारंगढ,8.रामविलास भारती पिता उसतराम भारती उम्र 35 वर्ष साकिन उलखर थाना सारंगढ को पकड़े। आरोपियों के फड़ एवं पास से 5720 रूपये तथा 52 पत्ती ताश जप्त किया गया है। आरोपियों के विरूद्ध थाना सारंगढ़ में धारा 13 जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

पुलिस चौकी जुटमिल प्रभारी निरीक्षक अंजना केरकेट्टा के नेतृत्व में सट्टा रेड कार्यवाही दौरान आरोपी कैलाश चौहान पिता ईश्वरी चौहान उम्र 21 साल निवासी बजरंगपारा जुटमिल के कब्जे से 15 हजार का सट्टा पट्टी नगद 3000 रुपये जप्त किया गया। एक अन्य सट्टा की रेड कार्यवाही में आरोपी अजय चौहान पिता महत्तर चौहान निवासी मिट्ठुमुड़ा जुटमिल के कब्जे से 20 हजार का सट्टा पट्टी एव नगद 3070 रुपये जप्त किया गया है। आरोपीगण के विरुद्ध पृथक- पृथक 4(क) जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

घरघोड़ा पुलिस द्वारा ग्राम नुनदरहा बीच बस्ती में खुडखुडिया नामक जुआ खेलने की सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया, कुछ जुआडियान पुलिस को देखकर मौके से भाग गये। पकडे गये जुआडी मदन राठिया पिता बाबू लाल राठिया उम्र 35 वर्ष साकिन नुनदरहा थाना घरघोडा के कब्जे से खुडखुडिया जुआ की सामाग्री तथा उसके पास एवं जुआ फड से 1800 रूपये जपत किया गया है। आरोपी के विरूद्ध थाना घरघोड़ा में धारा 4(क) साव. द्युत अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है।

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें ....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480